म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Governmernt of Madhya Pradesh

दिनांक 23/10/19......

क्र. 1152
प्रति,

कुलसचिव
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर

विषयः– श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर में सत्र 2019–20 से प्रारंभ किये जाने वाले B.Des./M.Des. एवं M.Design की सीट संख्या के निर्धारण बावत्।

सन्दर्भः– आपके पत्र कमांक407/एसकेयू/2019 दिनांक 07/07/2019 एवं पत्र कमांक 414 दिनांक 04/09/2019 एवं पत्र कमांक 419 दिनांक 26/09/2019 आयोग का पत्र कमांक/स्था/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2019 दिनांक 07/10/2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013, 2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्यधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 13/07/2019 पर मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की 149वीं सभा दिनांक 13/09/2019 के एजेण्डा कमांक (149)–6 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में आपके विश्वविद्यालय में निम्न तालिका अनुसार पाठ्यकमों को उनके सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रारंभ करने की अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

Courses	Specialization	Intake
B.Design	Fashion Design	200
	Textile Design	120
	Accessory Design	120
	Interior Design	120
	Fashion Communication	20
	Apparel Production	20
M.Design	Fashion Design	200
	Textile Design	200
	Accessory Design	100
	Interior Design	100

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त पाठ्यकमों के सम्मुख दर्शित सीट संख्या निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकृत की जाती है:–

निरंतर–2

कुलसचिव
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर(म.प्र.)

कार्यालय: ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियायसोत डेम के सामने भोपाल – 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com बेबसाईट : mpnvva.in, फोन: 0755-2490322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kalisot Dam, Bhopal - 462016 (M.P.) Email: Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

Scanned with OKEN Scanner

शर्तें :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विनियामक संस्था के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों/मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं, अधोसंरचना, उपकरण, पुस्तकें, प्रयोगशाला, इत्यादि की उपलब्धता होना चाहिए।
2. यूजीसी एवं विनियामक संस्थओं के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार सीट संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति उपरोक्तानुसार की जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का रिकार्ड डिजिटल फार्मेट (NAD) में संधारित करनां होगा।
4. भविष्य में पाठ्यक्रम, जिनके अध्यादेशों का प्रकाशन हो चुका है, उन्हें प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
5. उपरोक्त मापदंडो/शर्तो का पालन नहीं किये जाने की दशा में अथवा किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013,2016 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्वमेव उत्तरदायी होगा।

सचिव

पृष्ठाकन कमांक : ..1153../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल — दिनांक 23/10/2019

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

सचिव

कुलसचिव
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner